

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/प्रशि० निजी-11/2016...../ श्री शाश्वत, तत्कालीन उप प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुर्गेर सम्प्रति प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाँका को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 29.12.2019 से दिनांक 04.01.2020 तक कुल 07 दिनों एवं दिनांक 02.09.2021 से दिनांक 17.09.2021 तक कुल 16 दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसके उपरांत इनके अवकाश लेखा में दिनांक 18.09.2021 तक कुल 178 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

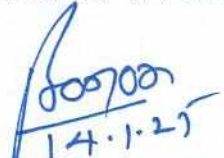
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/ प्रशि० निजी-11/2016.....105...../पटना-01, दिनांक-14/01/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/ श्री शाश्वत, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाँका/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना से अनुरोध है कि HRMS के अन्तर्गत Leave Management Module पोर्टल पर शेष आदेय अवकाश की प्रविष्टि कर जी जाय।


14.1.25
सरकार के संयुक्त सचिव